

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

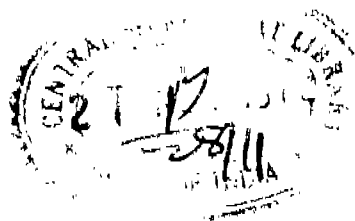
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 189]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 1972/भाद्र 3, 1894

No. 189]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 1972/BHADRA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th August 1972

SUBJECT.—*Import of raw materials and components by priority industries during April 1972—March 1973 period.*

No. 123-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the provision made in paragraph 9, Section 1 of Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1972—March 1973 in terms of which units which have obtained licences for raw materials/components against their application made during April 1971—March 1972 should make their import applications during April 1972—March 1973 on the basis of actual consumption in continuation of the period of consumption covered by the applications made during April 1971—March 1972 at a time for actual consumption of not less than 3 months and not more than 6 months.

2. The position has been reviewed and it has been decided to insert paragraph 9-A below the existing para 9 in Section 1 of the Import Trade Control (Red Book—Vol. I) for April 1972—March 1973 as under:—

“9-A. In the case of the units borne on the books of the DGTD, covered by paragraph 9 above, if a unit claims a licence/release order on the basis of consumption of imported raw materials and components per

taining to a period prior to April 1971, it will be open to the licensing/ sponsoring authorities to either refuse the import licence/release order or reduce its value suitably having regard to the requirements of the unit."

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएँ

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1972

विषय —अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 अवधि के दौरान प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों द्वारा कच्चे माल और सघटकों का आयात ।

मह्या 123-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 :—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण (रेड बुक, वा० 1) के खंड 1 के पैरा 9 में दी गई व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार जिन एककों ने अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 के दौरान दिए गए अपने आवेदन-पत्रों के आधार पर कच्चे माल/सघटकों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए हैं उन्हें अप्रैल 1972-मार्च, 1973 के दौरान अपने आयात-आवेदन-पत्र, एक बार में कम से कम तीन महीने और अधिक से अधिक 6 महीने के वास्तविक उपभोग के लिए अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 के दौरान दिए गए आवेदन पत्रों द्वारा सम्मिलित किए गए उपभोग की अवधि के अनुसरण में वास्तविक उपभोग के आधार पर देने चाहिए ।

2 स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण (रेड बुक, वा० 1) के खंड 1 के पैरा 9 में पैरा 9-ए को यथा निम्ननिविष्ट करने का निर्णय किया गया है :—

"9-ए" ऐसे एककों के मामले में जो महा निदेशालय, तकनीकी विकास की पुस्तिकाओं में दिए गए हैं और उपयुक्त पैरा 9 में सम्मिलित हैं, यदि कोई एकक अप्रैल, 1971 से पहले की किसी अवधि से संचालित आयातित कच्चे माल और सघटकों के उपभोग के आधार पर लाइसेंस/रिहाई आदेश का दावा करता है तो लाइसेंस देने वाले/प्रायोजक प्राधिकारियों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे या तो आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश के लिए इकार कर दें या एकक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके मूल्य को समुचित रूप से कम कर दें ।

SUBJECT.—*Licensing conditions relating to import of commodities under the Canadian Development Loan of C\$ 50 million dated 10th June, 1972 for commodities and fertilizers.*

No. 124-ITC(PN)/72.—The terms and conditions for imports under the Canadian Development Loan of C\$ 50 million for commodities and fertilizers as given in the Annexure to this Public Notice, are notified for the information of the trade.